

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।  
पत्रांक ३३।/ १४-१, दिनांक, अमरोहा, जुलाई, ३०, २०२२,  
सेता

अधिशासी अभियन्ता

विधुत पारेषण खण्ड— अमरोहा।

विषय :- जनपद अमरोहा, हस्तनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विधुत पारेषण खण्ड अमरोहा द्वारा 220 केंद्रीय विधुत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु ०.०७ हेक्टर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं ०६ वृक्षों के विदोहन हेतु ऑन लाइन Proposal No. FP/UP/TRANS/148929/2021(राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति) से जनापत्ति/वन्यजीव बलीयेरेन्स बावत प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।  
संदर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र०लखनऊ का पत्र संख्या २५७ / ११—सी दिनांक २१.०७.  
२०२२

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से आपके द्वारा प्रेषित जनपद अमरोहा, हस्तनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विधुत पारेषण खण्ड अमरोहा द्वारा 220 केंद्रीय विधुत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु ०.०७ हेक्टर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं ०६ वृक्षों के विदोहन हेतु ऑन लाइन Proposal No. FP/UP/TRANS/148929/2021 पर कठिपय बिन्दुओं पर आपत्तियां की गयी हैं।

उक्त पत्र की छायाप्रति सलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है, कि आप बिन्दु संख्या—१, २, व ५ पर अपनी रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, ताकि प्रस्ताव पर बिन्दुवार आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

सलग्नक — उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
प्रमाणीय वनाधिकारी  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग  
अमरोहा।

पत्रांक

उक्ता दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, उ०प्र०लखनऊ।
- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद/मेरठ।

  
प्रमाणीय वनाधिकारी  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग  
अमरोहा।